

प्रेषक,
शिशिर
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग:

लखनऊ : दिनांक 02 फरवरी, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष तृतीय किशत की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3493/स0नि0-20(रा0क0सं0)/2020-21 दिनांक 06 जनवरी, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष तृतीय किशत हेतु रू0 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्न शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- 1- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।
- 2- स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी।
- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा शासनादेश दिनांक 18.05.2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- प्रश्नगत स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि बजट के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।
- 5- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।
- 7- राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ को पूर्व वर्षों में स्वीकृत /अवमुक्त अनुदान की धनराशि से सम्बन्धित स्थानीय लेखा परीक्षा/आडिट रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 - 8- राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ द्वारा आगामी किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाना होगा कि विगत वर्षों में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष एवं अप्रयुक्त शेष नहीं है।
 - 9- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92-के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति -आयोजनेत्तर-101-ललित कला शिक्षा-20-कथक नृत्य संस्थान लखनऊ -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
 - 10- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-163 /दस-2021 दिनांक 30 जनवरी,2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिशिर)
विशेष सचिव

संख्या- 12 /2021/101(1)/चार-2021 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- सचिव, राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ
- 6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।